



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241520
CG-DL-E-30122022-241520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817]
No. 817]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 915(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में निरीक्षक (रेडियोग्राफर), निरीक्षक (फिजियोथेरेपिस्ट) और उप निरीक्षक (लैब तकनीशियन) समूह 'ख' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (योद्धक पैरा-मेडिकल) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.-- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.--पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.-- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.--वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.**— प्रोन्नति के लिए चिकित्सा श्रेणी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शेष-1 होना अपेक्षित है।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (रेडियोग्राफर)।	4* (2022)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपए)।	चयन।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में उप निरीक्षक (रेडियोग्राफर) में से प्रोन्नति जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी श्रेणी में कम से कम पांच वर्षों की नियमित सेवा की है और प्रोन्नति-पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें सम्मिलित होंगे: - 1. महानिरीक्षक (चिकित्सा/चिकित्सा अधीक्षक), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. कमांडेंट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. उप कमांडेंट(ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी) या सहायक कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य;	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निरीक्षक (फिजियोथेरेपिस्ट)।	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में उप निरीक्षक (फिजियोथेरेपिस्ट) में से प्रोन्नति जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी श्रेणी में कम से कम पांच वर्षों की नियमित सेवा की है और प्रोन्नति-पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें सम्मिलित होंगे: - 1. महानिरीक्षक(चिकित्सा/ चिकित्सा अधीक्षक), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष; 2. कमांडेंट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. उप कमांडेंट(ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी) या सहायक कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप निरीक्षक (लैब तकनीशियन)।	21* (2022)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	लागू नहीं होता।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) में सहायक उप निरीक्षक (लैब तकनीशियन) में से प्रोन्नति जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी श्रेणी में कम से कम छः वर्षों की नियमित सेवा की है और प्रोन्नति-पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को पूरा किया हो। टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: - 1. महानिरीक्षक(चिकित्सा/ चिकित्सा अधीक्षक), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. उप कमांडेंट(ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी) या सहायक कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. आर. II. 1/2022-चिकित्सा-I के.रि.पु.ब./गृ.म-कार्मिक-II]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022

G.S.R. 915(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949(66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Radiographer), Inspector (Physiotherapist) and Sub Inspector (Lab Technician) Group 'B' posts, in the Central Reserve Police Force, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, (Combatised Para-Medical Cadre), Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules are applicable to the posts mentioned in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay level in the pay matrix.**— The number of the posts, their classification and the pay level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.—The medical category for promotion shall be SHAPE-I as prescribed by the Central Government.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Radiographer).	4 * (2022) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion: Promotion from amongst the Sub-Inspector (Radiographer) in level 6 (Rs.35400–112400) of the pay matrix who have rendered not less than five years regular service in their respective grade in the Central Reserve Police Force and have successfully completed pre-promotional course. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would	Group “B” Departmental promotion Committee consisting of: - 1. Inspector General (Medical/ Medical Superintendent), Central Reserve Police Force —Chairman; 2. Commandant (Chief Medical Officer, Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member;	Not applicable.

also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	3. Deputy Commandant (Senior Medical Officer) or Assistant Commandant (Medical Officer), Central Reserve Police Force –Member.	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Inspector (Physiotherapist).	1 * (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion: Promotion from amongst the Sub-Inspector (Physiotherapist) in level 6 (Rs.35400–112400) of the pay matrix who have rendered not less than five years regular service in their respective grade in the Central Reserve Police Force and have successfully completed pre-promotional course. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group “B” Departmental promotion Committee consisting of: - 1. Inspector General (Medical/Medical Superintendent), Central Reserve Police Force –Chairman; 2. Commandant(Chief Medical Officer, Selection Grade), Central Reserve Police Force –Member; 3. Deputy Commandant (Senior Medical Officer) or Assistant Commandant (Medical Officer), Central Reserve Police Force –Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Sub Inspector (Lab Technician).	21 * (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two Years.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion: Promotion from amongst the Assistant Sub Inspector (Laboratory Technician) in level 5 (Rs. 29200 – 92300) of the pay matrix who have rendered not less than six years regular service in their respective grade in the Central Reserve Police Force and have successfully completed pre-promotional course. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Departmental promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of: - 1. Inspector General (Medical/Medical Superintendent), Central Reserve Police Force –Chairman; 2. Commandant(Chief Medical Officer, Selection Grade), Central Reserve Police Force –Member; 3. Deputy Commandant (Senior Medical Officer) or Assistant Commandant (Medical Officer), Central Reserve Police Force –Member.	Not applicable.

[F. No. R. II.1/2022. Med. I CRPF/MHA-Pers-II]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)